... श्री प्रयाग कुमार (RAS

राजस्व प्रकरण संख्याः–93 / 2015 दायर तारीख 12.06.2015
34 / 2018 10.04.2018

मोडा पिता खाना जाति धाकड उम्र 60 वर्ष निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............प्रार्थी

बनाम

1. कल्याणदास पिता गुलाबदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी कामा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. सोहनी पत्नि मदन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. गोपाल पिता रामरतन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. निर्मल पिता रामरतन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. दिनेश पिता रामरतन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
6. घनश्याम पिता रामरतन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
7. प्रकाश पिता रामरतन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
8. सीता पुत्री रामरतन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
9. कान्ता पुत्री रामरतन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
10. रामकन्या पुत्री रामरतन जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
11. लादू पिता प्रभू जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
12. रमेश पिता प्रभू जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
13. लाली पुत्री प्रभू जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
14. धापू पुत्री प्रभू जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
15. सन्जया पुत्री प्रभू जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
16. चन्द्रकला पुत्री प्रभू जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
17. प्यारी बेवा प्रभू जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
18. शंकर पिता जगन्नाथ जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी कामा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
19. शिव पिता जगन्नाथदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी कामा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
20. मदनी पुत्री जगन्नाथदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी कामा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
21. लाली पुत्री जगन्नाथदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी कामा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

उपस्थितः–
जगदीश चन्द धाकड अधिवक्ता प्रार्थी
सुनील कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) रा0टि0एक्ट

:–निर्णयः– दिनांक 22.06.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी की भूमि ग्राम देवनगर प0म0 सदारामजी का खेडा में प्रार्थी की एकल स्वामित्व की खातेदारी भूमि आराजी नं0 41, 42, 43, किता 3 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर आने जाने के लिये 12 फीट रास्ता जो की आ0नं0 40 की पश्चिमि मेर पर दक्षिण दिशा में जाता है। जो विपक्षीगण की खातेदारी भूमि है। गाडी गढार का रास्ता गणेशपुरा से पेडोक्स में जाने वाले रास्ते से होकर मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम देवनगर में स्थित है। ग्राम सरकीकुडी के आ0नं0 69 बिलानाम सरकार के पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है। आ0नं0 110/69 के उतरपूर्वी होने से प्रार्थी दक्षिण दिशा में स्थित मौजा देवनगर के आ0नं0 40 में प्रवेश कर दक्षिण दिशा में आ0नं0 40 के पश्चिमि मेर के सहारे सहारे स्वयं के आ0नं0 41, 42, 43 पर पहुँचता है। आ0नं0 40 की पश्चिमि तेर पर स्थित रास्ते को विपक्षीगण ने पत्थरो की दिवार लगाकर रास्ते को अवरुद्व कर दिया है। उक्त रास्ते के अलावा आवेदन प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। वर्षो से प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। आवेदक प्रार्थी विनपक्षीगण के आ0नं0 40 की पश्चिमि मेर पर 12 फीट चौडे रास्ते के बदले में तय किया जाने वाला मुआवजे के भुगतान को तैयार है। पुराने रास्ते को नियमानुसार कायम करवाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवाई गई।

सुनिल कुमार जोशी व दिनेश तम्बोली अधिवक्ता विपक्षीगण क्रमांक 1, 3 , 4, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, की और से अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विपक्षीगण क्रमांक 2, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21 बावजूद इत्लहा गैर हाजिर रहने से एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य असत्य है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा देवनगर में स्थित होकर चौतरफा पत्थरो की कोट होकर विपक्षीगण का शामलाती खाता है। तथा प्रार्थी मोडा की सम्पूर्ण आराजीयात पर आ0नं0 69, 110/69 के उतरीपूर्वी होने पर भी रास्ता मौजूद है तथा गंणेशपुरा का आम रास्ता स्थित है। जिस पर प्रार्थी वर्षो से निकल रहा है। रिकार्डेड रास्ता मौजूद है। विपक्षीगण के आ0नं0 40 के पश्चिम में किसी तरह की मेर नही है तथा विपक्षीगण का शामलाती सिवायचक एक ही आराजीयात है। जिस पर कही पर भी मेर नही है। आ0नं0 110/69 के उतरीपूर्वी कोने से दक्षिण दिशा में सिथत आ0नं0 40 की पश्चिम दिशा विपक्षीगणों के खेतों के बिचो बिच निकलती है जिस पर फसल काश्त होती है जिस पर रास्ता बनाना नामुमकीन है कृषि अधिकारो के प्रतिकूल है। भूमि के बिचो बिच फसल के नवीन रास्ता सृजीत नही किया जा सकता। प्रार्थी मोडा के पास वर्तमान में दो रास्ते विकल्प के तौर पर मौजूद है। उसके अतिरिक्त भी प्रार्थी मोडा के नजदीक की आराजीयात प्यारा वगैरह की भूमि पर और उसके पास भी अन्य अतिरिक्त रास्ता भी बना रखा है। जिस पर भी प्रार्थी गुजरता है और प्रयोग करता है प्रार्थी ने वर्तमान में भी इन्ही रास्तो से उपयोग कर फसल काश्त की है। विपक्षी की कृषि आराजीयात प्रार्थीगण की आराजीयात के बीचो बीच ना तो पहले कभी निकले है एंव फसल काश्त होने से

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

रास्ते के आलामात होने का भी प्रश्न ही नही उठता है। प्रार्थी के पास पहले से रास्ता मोजुद होते हुये परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश कियाजो कि विधी सम्मत नही होने से खारिज योग्य है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वयय खारिज फरमावे।

प्रकरण में भूमि की मौका स्थिति हेतु रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गई। तहसीलदार ने अपने पत्रांक 1470 दिनांक 16.11.2016, पत्राक 29 दिनांक 05.01.2018 से मय मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्तुत किया। ग्राम देवनगर के आ0नं0 41, 42, 43 किता 3 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा आने जाने के लिये आ0नं0 40 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा भूमि विपक्षीगण की खातेदारी में से उतर पश्चिमि मेड तक रास्ता चाहा गया है। जिसकी लम्बाई 382 फीट व चौडाई 13 फीट भूमि के बजाय आ0नं0 39 व 40 की पुर्वी मेड से होते हुये आ0नं0 40 की दक्षिणी मेड से आ0नं0 41 की उतरीपूर्वी मेड तक रास्ता देने की सहमती प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के आपस में होने से आ0नं0 39 में 13 फीट चौडा व 356 फीट लम्बा व आ0नं0 40 में 13 फीट चौडा व 976 फीट लम्बा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा जो मौके पर रास्ता खुला होकर चालू है। जिस पक्षकारान को कोई आपत्ति नही है। आ0नं0 41, 42, 43 किता 3 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है। आ0नं0 39 में 0.06 बीघा व आ0नं0 40 में 0.14 बीघा किता 2 रकबा 1 बीघा भूमि रास्ता हेतु उपयुक्त है।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का जिक्र करते हुये विपक्षी के नाम दर्ज भूमि ग्राम देवनगर की आराजी नं0 39 में से 0.06 बिस्वा व 40 में से 0.14 बीघा किता 2 रकबा 1 बीघा भूमि रास्ते की मांग की है प्रार्थी के पास विकल्प में रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराना फरमावे। अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया तथा बताया कि मौके पर आज भी काश्त हो रही है विकल्प में रास्ता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पत्रांक 29 दिनांक 05.01.2018 का भली भाति अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर आया कि आ0नं0 39 व 40 में रास्ता प्रदत किये जाने हेतु दोनो पक्ष सहमत है। मौके पर्चे पर हस्ताक्षर अंकित है। प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिये विकल्प में अन्य कोई रास्ता भी मौजूद नही है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आरटीए 251 ए (1) के तहत स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम देवनगर स्थित आ0नं0 41, 42, 43 किता रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर आने जाने के लिये विपक्षीगण के नाम दर्ज आ0नं0 39 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा में से 6 बिस्वा व आ0नं0 40 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा में से 0.14 बीघा कुल किता 2 रकबा 1–00 बीघा भूमि रास्ता प्रयोजन दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ता प्रयोजन मुआवजा डी0एल0सी0 दर 95720/– रुपये प्रति बीघा होकर भूमि की मालियत 95720/– रुपये बनती है। जिसका 2 गुणा 191440/– रुपये बनती है। जो प्रार्थीगण द्वारा बतौर मुआवजा विपक्षीगण को देय होगा। राशि विपक्षीगण द्वारा प्राप्त नही करने की दशा में राजकोष में जमाकरा राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2018 को मुकाम सदारामजी का खेडा केम्प कोर्ट पर लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

22/06/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प सदारामजी का खेडा)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)